भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1057
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

रोजगार रिक्तियां

1057. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्य के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे कई नौकरी चाहने वालों को लाभ होगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 21.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43014/03/2019-स्था. (ख) के द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए रिक्तियों की समीक्षा करने तथा उन्हें एक निश्चित समय के भीतर भरने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किए हैं।

(ख): संबंधित राज्य सरकारें अपनी नीतियों तथा नियमों के अनुसार अपनी रिक्तियों को भरती हैं। हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i) आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, जिला चयन समिति तथा विभिन्न सरकारी विभागों की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा लगभग 10,143 रिक्तियों हेतु वर्ष 2021-22 का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

ii) प्रति 2000/4000 की जनसंख्या के लिए, प्रशासनिक इकाई के रूप में 15004 ग्राम सचिवालयों/वार्ड सचिवालयों की स्थापना की है। इसके लिए, 1,26,728 पद भरे गए हैं तथा 7966 पदों को भरने के लिए अधिसूचित किया गया है।

iii) रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों/रोजगार फेयर के माध्यम से भर्ती कर रही है।

iv) एक पारदर्शी, जवाबदेह तथा टिकाऊ आउटसोर्सिंग परितंत्र तैयार करने तथा जिन विभागों/संगठनों को आवश्यकता हो, उनमें उनकी जरूरत के हिसाब से जन शक्ति को कार्य पर लगाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सड सर्विसेस (एपीसीओएस) का गठन किया गया है।

(ग) एवं (घ): सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, समामेलन एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 को अधिसूचित किया हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रदान करेगा। यह कामगारों एवं उद्योग की आवश्यकताओं को भी सुसंगत बनाएगा तथा कामगारों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

*****